कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 553 /XXV–12(9)/2018 देहरादून : दिनांक 04 अगस्त, 2020

सेवा में,

श्री एस0एल0 व्यास,
मार्फत, राष्ट्रीय महासचिव,
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन,
आई मॉ भवन, माधोराय की ढाल, पो0बॉक्स नं0–11
फलोदी जिला जोधपुर–342301

विषय– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 30.6.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–408 दिनांक 01 जून 2020 द्वारा आपके अनुरोध पत्र दिनांक 21.3.2020 में अंकित बिन्दु संख्या–2,3 एवं 4 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 21–08–2020 की तिथि समय 11:00 बजे निर्धारित की गयी है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपको उपलब्ध करायी गयी सूचना सही प्रतीत होती है।

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र दिनांक 2913 दिनांक 04–06–2020 द्वारा विभागीय प्रथम अपीलों का निस्तारण कोविड–19 के संक्रमण, महामारी के दृष्टिगत जनहित तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सुनवाई ऑडियो/वीडियों कॉल के माध्यम से या लिखित अभिकथन के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं।

अतः अनुरोध है कि आपसे उक्त नियत दिनांक व समय पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय फोन नम्बर–0135–2713551 मोबाईल नम्बर–9897995591 से सम्पर्क कर अपील की सुनवाई में प्रतिभाग किया जा सकता है। कृपया सम्पर्क हेतु अपना मोबाईल नम्बर/Whatsapp नम्बर/E-Mail आईडी उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथ से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में दूरभाष से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–553 / XXV–12(9)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनिवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संलग्न–5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल।

e-mail: dmcumdeontl@gmail.com दूरभाष: 05942–235284

पत्रांक–394 /29–20(सूचना का अधिकार)/2019 **दिनांक–22 जुलाई, 2020**

श्री प्रभाकर चौधरी पुत्र विजेन्द चौधरी,
निवासी तोमर भवन विकासनगर, गाडीघाट
कोटद्वार (पौडी गढवाल) 7027955555

विषय– लोक सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आपके द्वारा चाही गयी सूचना को उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपने सूचना का अनुरोध पत्र 18 जून, 2020 जो इस कार्यालय को अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या– 510 दिनांक– 30 जून, 2020 द्वारा अन्तरण किया गया है, इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है। उक्त अनुरोध पत्र में आपके द्वारा 04 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है–

उक्त के सम्बंध में अवगत करना है, आपके द्वारा चाही गयी सूचना कुल 242 पृष्ठों में रक्षित/धारित है, जिसे एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रूपये 484.00 (रू. चार सौ चौरासी मात्र) का अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

कम सं0	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि
1.	कुल पृष्ठ–242	रू0 2.00 /पृष्ठ	484.00

अतः उक्त सूचना को प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त धनराशि रू. 484.00 (रू. चार सौ चौरासी मात्र), सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल के नाम का यथाशीघ्र पोस्टल आर्डर/स्टाम्प/बैंकर्स चैक अथवा कार्यालय में नकद जमा करने का कष्ट करें। ताकि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना आपको समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जा सके।

मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि–

1. अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–510 दिनांक– 30 जून, 2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।